कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक– 1780 / 12–1, कोटबंगला, दिनांक 29 / 11 / 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भटवाड़ी में भल्डियाना लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर सिल्याण निराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/49632/2020)।**

सन्दर्भ :– **आपका कार्यालय पत्रांक– 2660 / 12–1, दिनांक– 29.04.2025।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र– 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 57 / 2021 / एफ0सी0 / 150, दिनांक– 26.04.2024 द्वारा विषयगत प्रस्ताव में 02 बिन्दुओं पर आख्या चाही गई है, जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है।

क्र0 सं0	आपत्ति	अनुपालन आख्या
1	इस (भारत सरकार) कार्यालय के पत्र दिनांक– 14.12.2022 के बिन्दु सं0–2 एवं सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–03 (ख) के सन्दर्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को आरक्षित वन / संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें तथा अधिसूचना की इस (भारत सरकार) कार्यालय को प्रदान करें।	उक्त के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 861/X-3-23/1(51)/2021, दिनांक– 27.07.2023 द्वारा संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। **(प्रति संलग्न)**
2	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या वेब पोर्टल पर करने का कष्ट करें।	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयगत प्रस्ताव की सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या दिनांक– 08.07.2022 द्वारा अपलोड की गई थी, जिसे नोडल कार्यालय द्वारा 29.11.2022 को सत्यापित कर दिया गया था।

अतः सूचना सादर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 1780 / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ प्रेषित।

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

D:\DraftMan Letter\Letter.docx

o/c

संलग्नक-1

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग-3
संख्या- 861/X-3-23/1(51)/2021
देहरादूनः दिनांकः 27 जुलाई, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजार्थ भल्डियाना लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जरापुर-सिल्याण निराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड़- सिविल सोयम भूमि के 4.25 है0 क्षेत्रफल, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं :-

तालिका

क्र0सं0	जिला	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	चयनित क्षेत्रफल (है0)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उत्तरकाशी	गोरसाडा	-	1961	1.991	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड़
		मट्टी	-	3285	2.086	
			-	3284	0.173	
		योग-		-	4.25	

संरक्षित क्षेत्र का सीमांकन एवं स्तम्भ निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार के अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

Signed by Dharm Singh Meena
Date: 26-07-2023 16:16:04
(धर्म सिंह मीणा)
अपर सचिव

संख्याः- 861/X-3-23/1(51)/2021, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड, कैम्पा।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
8. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
10. उप जिलाधिकारी, डुण्डा।

CS CamScanner